



इलाहाबाद उच्च न्यायालय
लखनऊ
जनहित याचिका संख्या – 1282 / 2025

मो. शमीम

...याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, लखनऊ
एवं 11 अन्य

... प्रतिवादी (गण)

याचिकाकर्ता (गण) के अधिवक्ता: – लाल बहादुर खान

प्रतिवादी (गण) के अधिवक्ता :- मुख्य स्थायी अधिवक्ता, मनीष कुमार सिंह, मोहन सिंह, साबिर अली

न्यायालय संख्या – 17

माननीय न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री मनीष कुमार सिंह और उत्तर प्रदेश राज्य के विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री धीरज ओझा को सुना।
2. जनहित याचिका संख्या 1282/ 2025 में इस न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 08.01.2026 के आदेश को वापस लेने के लिए यह एक आवेदन है।
3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि उपरोक्त रिट याचिका इस तथ्य को छुपाते हुए दायर की गई थी कि इससे पूर्व 18 याचिकाकर्ताओं द्वारा जनहित याचिका संख्या 1042/2024 दायर की गई थी और याचिकाकर्ता मोहम्मद शमीम उनमें से एक था। उस रिट याचिका को इस न्यायालय की एक खंड न्यायपीठ द्वारा पारित दिनांक 02.12.2024 के आदेश द्वारा वापस ले लिये जाने के आधार पर खारिज कर दिया गया है। पश्चातवर्ती जनहित याचिका उपरोक्त तथ्य को छुपाते हुए दायर की गई थी और इसलिए, दिनांक 08.01.2026 का आदेश वापस लेने योग्य है।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है एवं इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी एवं सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

4. दिनांक 08.01.2026 के आदेश के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि न्यायालय ने विद्वान स्थायी अधिवक्ता के उस बयान को दर्ज किया है, जो उन्हें दिए गए इन लिखित निर्देशों के आधार पर दिया गया था कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67 के अंतर्गत कार्यवाही वर्ष 2024 से लंबित है और, तदनुसार, इस न्यायालय ने याचिका को यह निर्देश जारी करते हुए निस्तारित कर दिया है कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 67 के अंतर्गत लंबित कार्यवाही को विधि के अनुसार तत्परतापूर्वक संपन्न किया जाए। इस न्यायालय ने प्रतिद्वंद्वी तर्कों के गुणदोषों के संबंध में कोई टिप्पणी नहीं की है और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 67 के अंतर्गत लंबित कार्यवाही को विधि के अनुसार निर्णीत करने के निर्देश का तात्पर्य यह है कि प्रभावित व्यक्तियों को कार्यवाही में भाग लेने और अपने अभिवचन प्रस्तुत करने का अधिकार है। इसलिए, दिनांक 08.01.2026 का आदेश याचिकाकर्ता के प्रति अन्याय कारित नहीं करता है।

5. तदनुसार, आदेश वापसी आवेदन को खारिज किया जाता है और याचिकाकर्ता के लिए उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 67 के अंतर्गत लंबित कार्यवाही में भाग लेने और उसके पास उपलब्ध समस्त अभिवचन प्रस्तुत करने का विकल्प प्रदान किया जाता है।

(न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी)

10 फरवरी, 2026

प्रदीप